राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

एसोसिएशन का ज्ञापन

और

नियम

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का अधिनियम होने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के विषय में

और

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् सोसाइटी के विषय में

एसोसिएशन का ज्ञापन

1. सोसाइटी का नाम "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्" है । इसके आगे इसका उल्लेख "परिषद्" के रूप में होगा ।

2. परिषद् का पंजीकृत कार्यालय भारत सरकार के मुख्यालयों में उस परिसर में स्थित होगा जैसा इसका शासी निकाय (कार्यकारिणी समिति) समय-समय पर निश्चय करेगा । रा.शै.अ.प्र.प. का स्थायी पता निम्नलिखित है :

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली – 110 016

3.1 परिषद् के उद्देश्य शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को शिक्षा, विशेषतः स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में इसकी नीतियों और मुख्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता और सलाह देना है ।

3.2 इन उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए, परिषद् निम्नलिखित में से किसी एक या सभी कार्यक्रमों और क्रियाकलापों की जिम्मेदारी ले सकती है :

(क) शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान करने, सहायता देने, प्रोत्साहन और समन्वय की जिम्मेदारी लेना ;

(ख) मुख्यतः उच्च स्तर पर सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना ;

(ग) शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षकों के प्रशिक्षण या विद्यालयों की विस्तार सेवा की व्यवस्था में लगी संस्थाओं के लिए विस्तार सेवा की सुव्यवस्था करना ;

(घ) स्कूली में समुन्नत शैक्षिक तकनीकों और पद्धतियों का विकास और / अथवा प्रसार करना ;

(ङ) राज्य शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थानों को उनके उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए सहयोग और सहायता करना ;

(च) देश के किसी भी हिस्से में, इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझी जाने वाली संस्थाओं को स्थापित और संचालित करना ;

(छ) स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर विचारों और सूचना के लिए वितरण केंद्र के रूप में कार्य करना ;

(ज) स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों और अन्य शिक्षा संगठनों तथा संस्थाओं को सलाह देना ;

(झ) इसके उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली पुस्तकों, सामग्री, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य को तैयार करने और / अथवा प्रकाशन की जिम्मेदारी लेना ;

(ञ) परिषद् के प्रयोजनार्थ किसी इमारत या इमारतों के निर्माण, परिवर्तन या रख-रखाव के लिए आवश्यक या सुविधाजनक समझी गई किसी भी चल या अचल संपत्ति को उपहार, क्रय पट्टे या अन्य तरीके से प्राप्त करना ;

(ट) भारत सरकार के तथा अन्य वचन-पत्र, विनियम-पत्र, चेक या अन्य परक्राम्य-पत्र आहरण करना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकन करना, बट्टा काटना, परक्रामण करना;

(ठ) ऐसी प्रतिभूतियों में या इस तरीके से परिषद् की निधियों का निवेश करना जो समय-समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित की जाएँ तथा समय-समय पर ऐसे निवेशों का विक्रय या अंतरण करना;

(ड) परिषद् की सारी या किसी संपत्ति का विक्रय, अंतरण, लीज (पट्टा) द्वारा या अन्य तरीके से निपटान करना ;

(ढ) प्रासंगिक अथवा शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक कर्मचारियों को उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाओं के लिए विस्तार सेवा की व्यवस्था करने के अपने प्राथमिक उद्देश्यों को संचालित करने के लिए परिषद् द्वारा आवश्यक समझे गए सभी कार्य करना ।

4. (क) परिषद् द्वारा संचालित संस्थाएँ और अन्य कार्यक्रम किसी भी

लिंग और कोई भी जाति, पंथ, वर्ण या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे तथा सदस्यों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों के प्रवेश या नियुक्ति या अन्य किसी संबंध में धार्मिक विश्वास या व्यवसाय के विषय में किसी प्रकार की परीक्षा या शर्त नहीं लगाई जाएगी; और

(ख) परिषद् किसी प्रकार का ऐसा दान नहीं लेगी जिसमें इसकी दृष्टि से इस निगम की भावना या उद्देश्य के विरुद्ध शर्तें या बाध्यता हो ।

5. परिषद् की आय और संपत्ति, चाहे वह किसी भी तरह से प्राप्त की गई हो, एसोसिएशन के ज्ञापन में दिए गए उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए ही प्रयोग की जाएगी, तथापि भारत सरकार द्वारा अनुदान में दी गई राशि, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू सीमा के अनुसार ही खर्च की जाएगी । परिषद् की आय या संपत्ति का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश, बोनस या अन्य प्रकार से या किसी भी तरह के लाभ द्वारा उन व्यक्तियों को भुगतान या स्थानान्तरण द्वारा नहीं दिया जाएगा, जो किसी समय परिषद् के सदस्य रह चुके है या उनमें से किसी ऐसे सदस्य या ऐसे व्यक्तियों को जो उनके द्वारा दावा करें, बशर्ते कि यहाँ विदित बातों से परिषद् के लिए की गई सेवाओं के बदले परिषद् के किसी सदस्य या किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक पारिश्रमिक के भुगतान या यात्रा भत्ते, विश्राम या अन्य समान प्रभारों के भुगतान में रुकावट न आए ।

6. भारत सरकार परिषद् के कार्य और प्रगति के पुनरावलोकन, तथा उनके मामलों में जाँच कराने तथा उन पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए अनुसार रिपोर्ट देने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है तथा ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर भारत सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो कि रिपोर्ट में दिए किसी भी मामले के निपटान के लिए आवश्यक समझे जाएँ और परिषद् ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार परिषद् को नीति और कार्यक्रमों से संबंधित किन्हीं भी प्रमुख मामलों में किसी भी समय निर्देश जारी कर सकती है।

7. परिषद् के शासी निकाय के उन प्रथम सदस्यों के नाम और पते पृष्ठ 6 पर दिए गए हैं, जिनको कि परिषद् के नियमों और विनियमों द्वारा इसके मामलों के प्रबंध कार्य सौंपे जाते हैं ।

8. शासी निकाय के तीन सदस्यों द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित परिषद् के नियमों की प्रति एसोसिएशन के ज्ञापन के साथ फाइल की जाती है ।

9. हम, जिन व्यक्ति जिनके नाम और पते पृष्ठ 8 में दिए गए हैं, एसोसिएशन के ज्ञापन में दिए गए प्रयोजनों से स्वयं का संबद्ध करते हैं और एतद् द्वारा अपने नामों को इस एसोसिएशन के ज्ञापन में शामिल करते हैं तथा इसमें अपने हस्ताक्षर करते हैं तथा 1860 के अधिनियम XXI के अंतर्गत, आज 6 जून, 1961 को दिल्ली में एक सोसाइटी का गठन करते हैं ।

क्रम संख्या	नाम	पता	पद
1.	डा. के. एल. श्रीमाली	शिक्षा मंत्री, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री प्रेम किरपाल	शिक्षा सलाहकार और सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3.	श्री एन. एन. वान्चू (या उनका प्रतिनिधि)	सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य (वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि)
4.	प्रो. एन. के. सिद्धान्त	कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
5.	श्री राजा राय सिंह	संयुक्त शिक्षा सलाहकार, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य (भारत सरकार का नामिती)
6.	प्रो. वी. के. एन. मेनन	निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य (भारत सरकार का नामिती)
7.	श्री जे. पी. नाईक	सलाहकार, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य (भारत सरकार का नामिती)
8.	श्री एम. एम. बेग	प्रधानाचार्य, दिल्ली कालेज, दिल्ली	सदस्य (कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय का नामिती)

9.	श्री टी. के. एन. मेनन	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य (शिक्षा अध्ययन मंडल का प्रतिनिधि)
10.	डा. ई. ए. पायस	प्रधानाचार्य, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली	सदस्य (शिक्षा अध्ययन मंडल का प्रतिनिधि)
11.	श्री बी. एन. सहाय	उप-सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य

क्रम संख्या	सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय	हस्ताक्षर	साक्षियों के नाम, पते और व्यवसाय	साक्षियों के हस्ताक्षर
1.	डा. के. एल. श्रीमाली, शिक्षा मंत्री, नई दिल्ली	(हस्ताक्षर) के. एल. श्रीमाली	डा. पी. डी. शुक्ल, उप शिक्षा सलाहकार, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	(हस्ताक्षर) पी. डी. शुक्ल
2.	श्री प्रेम किरपाल, शिक्षा सलाहकार और सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	(हस्ताक्षर) प्रेम किरपाल	– वही –	– वही –
3.	श्री एन. एन. चान्चू, सचिव, भारत सरकार	(हस्ताक्षर) एन. एन. चान्चू	– वही –	– वही –
4.	श्री राजा राम सिंह, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	(हस्ताक्षर) आर. आर. सिंह	– वही –	– वही –
5.	श्री टी. के. एन. मेनन, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, नई दिल्ली	(हस्ताक्षर) टी. के. एन. मेनन	– वही –	– वही –
6.	डा. ई. ए. पायर्स, प्रधानाचार्य, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली	हस्ताक्षर ई. ए. पायर्स	– वही –	– वही –
7.	श्री बी. एन. मल्हन, उप-सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	(हस्ताक्षर) बी. एन. मल्हन	– वही –	– वही –

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

की

नियमावली

18 दिसम्बर, 1969 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत ।

भारत सरकार के तारीख 23 जनवरी, 1970 के पत्र संख्या एफ. 1–19/69 रा.शै.अ.प्र.प. (एन. सी. ई. आर. टी.) द्वारा अनुमोदित ।

सचिव, रा. शै. अ. प्र. प. (एन. सी. ई आर. टी.) के तारीख 30 जनवरी, 1970 के पत्र संख्या एफ. 23–2/69–ई 1 द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के नियम

1. **लघु शीर्षक**– इस नियमावली को "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की नियमावली" कहा जाए ।

2. **परिभाषा**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(i) "परिषद्" से अभिप्राय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से होगा ।

(ii) "अध्यक्ष" से अभिप्राय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अध्यक्ष से होगा ।

(ii) (क) "सभापति" से अभिप्राय उस सदस्य से होगा जो बैठक का संचालन करे ।

(iii) "निदेशक" से अभिप्राय नियम 14 के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक से होगा ।

(iii) (क) "संयुक्त निदेशक" से अभिप्राय, नियम 14 के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के संयुक्त निदेशक से होगा ।

(iv) "सरकार" से अभिप्राय भारत सरकार से होगा ।

(v) "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्राय उस निकाय से होगा जो परिषद् को कार्यकारिणी समिति के रूप में उसी प्रकार नियम 23 के अंतर्गत संस्थापित की गई है ।

(vi) "परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों" से अभिप्राय नियम 13 में उल्लिखित प्रत्येक अधिकारी और स्टाफ के प्रत्येक उस अन्य अधिकारी और सदस्य से होगा, जिसकी नियुक्ति परिषद् के नियंत्रण के अधीन किसी कार्यालय या संस्थान या संगठन की कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों द्वारा या उनके अधीन की गई हो ।

(vii) "राष्ट्रीय संस्थान" से अभिप्राय परिषद् द्वारा स्थापित उन राष्ट्रीय संस्थाओं से होगा जो इसके कार्यक्रमों के विकास और उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए स्थापित की गई हों ।

(viii) "क्षेत्रीय संस्थानों" से अभिप्राय उन क्षेत्रीय संस्थाओं से होगा, जो परिषद् द्वारा उसके उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए स्थापित की गई हों ।

(ix) "सचिव" से अभिप्राय, नियम 14 के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के सचिव से होगा ।

(x) (1) एकवचन अर्थ देने वाले शब्दों में बहुवचन रूप भी शामिल है और बहुवचन रूप में एकवचन रूप भी शामिल है ।

(2) पुल्लिंग अर्थ वाले शब्दों में स्त्रीलिंग अर्थ भी शामिल है।

परिषद्

3. परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(i) शिक्षा मंत्री — अध्यक्ष – पदेन

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष — पदेन

(iii) शिक्षा मंत्रालय के सचिव — पदेन

(iv) विश्वविद्यालयों के चार कुलपति, प्रत्येक क्षेत्र से एक, भारत सरकार द्वारा नामित ;

(v) प्रत्येक राज्य सरकार और विधान मंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्र का एक प्रतिनिधि, जो राज्य / केंद्र शासित क्षेत्र का शिक्षा मंत्री (या उसका प्रतिनिधि) होगा और दिल्ली के मामले में, दिल्ली का मुख्य कार्यकारी पार्षद् (या उसका प्रतिनिधि) ;

(vi) ऊपर शामिल न किए गए कार्यकारिणी समिति के शेष सभी सदस्य; और

(vii) (क) अध्यक्ष,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली — पदेन

(ख) आयुक्त,
केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली — पदेन

(ग) निदेशक,
केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डी. जी. एच. एस.)
नई दिल्ली — पदेन

(घ) उप महानिदेशक,
कृषि शिक्षा प्रभारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.)
कृषि मंत्रालय,
नई दिल्ली — पदेन

(ङ) प्रशिक्षण निदेशक, पदेन
प्रशिक्षण और रोजगार महानिदेशालय,
श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली

(च) शिक्षा प्रभाग का प्रतिनिधि पदेन
योजना आयोग, नई दिल्ली

और

(viii) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित किए जाएँगे, जिनकी संख्या छः से अधिक न हो । इसमें से कम से कम चार स्कूल अध्यापक होंगे ।

(4) सदस्यों की नामावली-परिषद् सदस्यों के पतों और व्यवसाय के साथ नामावली बनाएगा और प्रत्येक सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(5) यदि परिषद् के किसी सदस्य का पता बदल जाता है तो वह सचिव को अपने नए पते की सूचना देगा, तत्पश्चात् नए पते को सचिव सदस्यों की नामावली में दर्ज करेगा । परन्तु यदि सदस्य नए पते की सूचना नहीं देता है तो नामावली में दिया गया पता ही उसके पते के रूप में जारी रहेगा ।

(6) सदस्यता की अवधि – जहाँ परिषद् का कोई सदस्य, धारण किए गए पद या नियुक्ति के कारण सदस्य बनता है, तो परिषद् से उसकी सदस्यता उस समय समाप्त हो जाएगी जब कि वह उस पद या नियुक्ति पर नहीं बना रहता है ।

(7) भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य उस अवधि के लिए उस पद पर बने रहेंगे, जैसा कि उनकी नियुक्ति के समय विनिर्दिष्ट किया गया है या समय-समय पर अवधि का विस्तार किया जाएगा ।

(8) सभी पदमुक्त सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे ।

(9) परिषद् के सदस्य, सदस्य नहीं रह जाएँगे, यदि –

(क) उनकी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दें, विकृत चित्त वाले हो जाएँ, दिवालिया हो जाएँ या नैतिक अधमता सहित दांडिक अपराध के दोषी पाए जाएँ ; या

(ख) अध्यक्ष की उपयुक्त अनुमति के बिना, परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं।

10. परिषद् की सदस्यता से त्यागपत्र सचिव के पास भेजा जाएगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि परिषद् की ओर से अध्यक्ष द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए ।

11. रिक्तियाँ - परिषद् की सदस्यता की कोई रिक्ति, नामांकनों के लिए अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा नामांकनों द्वारा भरी जाएँगी और रिक्त पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति सदस्यता की रिक्ति की केवल असमाप्त-अवधि के लिए ही पद पर बने रहेंगे, जब तक कि नामांकन प्राधिकारियों द्वारा अवधि बढ़ाई नहीं जाती है ।

12. अपने पद के कारण सदस्य होने का हकदार कोई व्यक्ति सदस्य न हो पाने के बावजूद और इसके निकाय में कोई रिक्ति होने के बावजूद, चाहे वह नियुक्ति न करने के कारण हो या किसी अन्य कारण से ऐसा हो, परिषद् अपना कार्य करती रहेगी तथा परिषद् की कार्रवाई का कोई निर्णय केवल ऊपर बताए कारणों की वजह से या उसके किसी भी सदस्य की नियुक्ति में दोष पाए जाने के कारण ही अमान्य नहीं ठहराया जाएगा।

परिषद् के अधिकारी और प्राधिकारी

13. अधिकारी – परिषद् के अधिकारी, अध्यक्ष, निदेशक, संयुक्त निदेशक, सचिव और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जो कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत किए जाएँगे ।

14. परिषद् के निदेशक, संयुक्त निदेशक और सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी, जो उनका पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित करेगी ।

15. प्राधिकारी – निम्नलिखित परिषद् के प्राधिकारी होंगे :

(i) कार्यकारिणी समिति ; और

(ii) कार्यकारिणी समिति द्वारा संस्थापित अन्य प्राधिकारी ।

परिषद् की कार्यवाहियाँ

16. बैठकें –

(i) परिषद् की वार्षिक आम बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय, तारीख और स्थान पर होगी ।

(ii) अध्यक्ष जब भी उचित समझे, परिषद् की विशेष बैठक को बुला सकता है ।

17. जब तक इन नियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो तब तक परिषद् की सभी बैठकें सचिव के हस्ताक्षर सहित जारी नोटिस द्वारा बुलाई जाएँगी ।

18. परिषद् की बैठक बुलाने के लिए जारी प्रत्येक नोटिस में बैठक की तारीख, समय और बैठक का स्थान बताया जाएगा और परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास इसे, बैठक के लिए नियत की गई तारीख से कम-से-कम ठीक इक्कीस दिन पहले भेजा जाएगा ।

19. यदि परिषद् की बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष के रूप में चुना गया परिषद् का कोई सदस्य उस बैठक का अध्यक्ष होगा ।

20. स्वयं उपस्थित परिषद् के दस सदस्य परिषद् की प्रत्येक बैठक में कोरम बनाएँगे ।

21. (i) परिषद् की बैठक में सभी विवादास्पद मामलों का निरूपण मत द्वारा किया जाएगा ।

(ii) मतों के एक समान होने की स्थिति में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

22. सचिव परिषद् की कार्यवाहियों का रिकार्ड रखेगा और उसकी एक प्रति भारत सरकार के पास भेजी जाएगी ।

कार्यकारिणी समिति

जैसा कि एसोसिएशन के ज्ञापन में बताया गया है, कार्यकारिणी समिति परिषद् का शासी निकाय होगी ।

23. परिषद् के मामले, परिषद् के नियमों-विनियमों और आदेशों के अनुसार कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रशासित होंगे और इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) परिषद् का अध्यक्ष, जो कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ।

(ii) (क) शिक्षा मंत्रालय के राज्यमंत्री, जो कार्यकारिणी समिति का पदेन उपाध्यक्ष होगा ;
(ख) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित शिक्षा उपमंत्री ;
(ग) परिषद् का निदेशक ;
(घ) शिक्षा मंत्रालय का सचिव – पदेन ।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, सदस्य – पदेन ।

(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित स्कूली शिक्षा में रुचि रखने वाले चार शिक्षाविद् (जिनमें से दो विद्यालयों के शिक्षक होंगे) ।

(v) परिषद् का संयुक्त निदेशक ।

(vi) परिषद् के संकाय (फैकल्टी) के तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम दो प्रोफेसर स्तर के और विभागाध्यक्ष होंगे, जो कि परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित होंगे ।

(vii) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(viii) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो परिषद् का वित्त सलाहकार होगा ।

24. सदस्यता की अवधि — नामित या नियुक्त किए गए सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी । तथापि कार्यकारिणी समिति के रूप में किसी व्यक्ति को नामित या नियुक्त करने वाले उस प्राधिकारी को, किसी भी समय सदस्यता समाप्त करने अथवा बढ़ाने का अधिकार प्राप्त होगा ।

यदि कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य, धारण किए गए पद या नियुक्ति के कारण सदस्य बनता है, तो कार्यकारिणी समिति से उसकी सदस्यता उस समय समाप्त हो जाएगी, जब वह उस पद या नियुक्ति पर नहीं रहता ।

24. (क) प्रत्येक पदमुक्त सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

25. कार्यकारिणी समिति के सदस्य, सदस्य नहीं रह जाएँगे यदि —

(क) उनकी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दें, विकृत चित्त वाले हो जाएँ, दिवालिया हो जाएँ या नैतिक अधमता सहित दांडिक अपराध के दोषी पाए जाएँ, या

(ख) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की उपयुक्त अनुमति के बिना, परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं।

26. कार्यकारिणी समिति की सदस्यता से त्यागपत्र, सचिव के पास भेजा जाएगा और यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि परिषद् की ओर से अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता ।

27. रिक्तियाँ – कार्यकारिणी समिति की सदस्यता के लिए कोई रिक्ति, नियुक्ति या नामांकन द्वारा इस तरह की नियुक्ति अथवा नामांकन के लिए अधिकृत, प्राधिकारी द्वारा भरी जाएगी, और रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति तब तक सदस्यता की रिक्ति की केवल असमाप्त अवधि के लिए ही पद पर बने रहेंगे, जब तक कि नामांकन प्राधिकारियों द्वारा अवधि बढ़ाई नहीं जाती है ।

28. यदि कोई अपने पद के कारण समिति का सदस्य होने का हकदार है परंतु फिलहाल इसका सदस्य नहीं है तथा नियुक्ति के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति न होने अथवा किसी अन्य कारण से रिक्ति है तो भी कार्यकारिणी समिति अपना कार्य करती रहेगी तथा कार्यकारिणी समिति की कोई कार्यवाही केवल ऊपर बताए किन्हीं कारणों की वजह से या उसके किसी सदस्य की नियुक्ति में दोष पाए जाने के कारण ही अमान्य नहीं ठहराई जाएगी ।

29. परिषद् का सचिव कार्यकारिणी समिति का सचिव होगा ।

कार्यकारिणी समिति की कार्यवाहियाँ

30. कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य उस अवसर पर अध्यक्षता करेगा ।

31. कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित कार्यकारिणी समिति के पाँच सदस्य कोरम बनाएँगे ।

32. कार्यकारिणी समिति को प्रत्येक बैठक की सूचना कम से कम दस दिन पहले कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को दी जानी चाहिए ।

33. कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने के लिए जारी प्रत्येक नोटिस में बैठक की तारीख, समय और स्थान बताया जाएगा, इन नियमों में अन्यथा व्यवस्था किए जाने के अलावा ऐसी सभी बैठकें सचिव के हस्ताक्षर सहित जारी नोटिस द्वारा बुलाई जाएँगी ।

34. कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए समय पर वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी ।

35. अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिए जाने वाले किसी मामले पर यदि मत समान हों तो इनके अतिरिक्त सभापति निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है ।

36. कार्यकारिणी समिति के निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाने वाला कोई मामला, सभी सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा पूरा किया जाएगा तथा इस प्रकार से परिचालित तथा हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित ऐसा संकल्प उतना ही मान्य और बाध्यकारी होगा मानो यह कार्यकारिणी समिति की बैठक में पारित किया गया हो, बशर्ते कि कार्यकारिणी समिति के कम से कम आधे सदस्यों ने इस संकल्प पर अपने विचार प्रकट किए हों ।

37. (क) इसके पहले उल्लिखित विषय पर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के विचारों में मतभेद की स्थिति में बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा, तथापि, ऐसे बहुमत के निर्णय को सरकार

के पास भेजने के एक महीने के अंदर ही भारत सरकार का वीटो अध्यक्ष को भेजा जाएगा ।

(ख) अर्थात ऐसा कोई प्रश्न भारत सरकार के पास निर्णय के लिए भेज सकता है जो उसके मत में पर्याप्त महत्वपूर्ण है तथा यह निर्णय परिषद् और उसकी कार्यकारिणी समिति के लिए बाध्यकारी होगा ।

कार्यकारिणी समिति के कार्य और शक्तियाँ

38. कार्यकारिणी समिति सामान्यतः परिषद् के उन उद्देश्यों को कार्यान्वित करेगी, जो एसोसिएशन के ज्ञापन में बताए गए हैं ।

39. परिषद् के प्रबंध के सभी मामले और निधियाँ कार्यकारिणी समिति के नियंत्रण के अधीन रहेंगी और समिति को परिषद् की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा ।

40. विनियम— (I) भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, कार्यकारिणी समिति को विनियमों की रचना करने और संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन परिषद् के मामलों के संचालन और प्रबंध के लिए, इन नियमों से असंगत नहीं होने चाहिए :

(II) पूर्व उल्लिखित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित मामलों का प्रावधान किया जाएगा :

(क) बजट आकलन की तैयारी और संस्वीकृति, खर्च की संस्वीकृति, संविदा बनाना और निष्पादन करना, परिषद् की निधियों का निवेश तथा इस तरह के निवेश की बिक्री या परिवर्तन और लेखा और लेखा परीक्षा ;

(छ) उन समितियों, स्थायी तथा अन्य उप-समितियों के सलाहकार मंडलों द्वारा शक्तियों, कार्यों और कार्य-संचालन, जो समय-समय पर संस्थापित की गई हैं, और उनके सदस्यों की पदावधि ;

(ज) परिषद् और संस्थानों तथा परिषद् द्वारा संस्थापित और अनुरक्षित नौकरियों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया ;

(झ) नियुक्ति की शर्तें और अवधि, परिलब्धियाँ, भत्ते, अनुशासन संबंधी नियम तथा परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तें ;

(ञ) छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों और प्रतिनियुक्तियों, सहायता अनुदान, अनुसंधान योजनाओं और परियोजनाओं और सेवा-विस्तार के प्रावधान तथा अनुसंधान केंद्रों और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को नियंत्रित करने की शर्तें ;

(ट) अन्य मामले, जो कि परिषद् के उद्देश्यों के प्रोत्साहन और मामलों के उपयुक्त प्रशासन के लिए आवश्यक है ।

41. इन नियमों और विनियमों के अनुसार, कार्यकारिणी समिति को परिषद् के मामलों के संचालन के लिए सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और बजट प्रावधानों के अनुसार उनके पारिश्रमिक की राशि निश्चित करने तथा उनके कर्तव्य निर्धारित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं ।

42. कार्यकारिणी समिति को अपने उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सरकारों या निजी संगठनों के साथ या अकेले ही व्यवस्था करने और अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए और परस्पर समस्त शर्तों पर परिषद् को अक्षय निधि, सहायता-अनुदान, दान या उपहार प्राप्त करने या स्वीकार करने के लिए अधिकार प्राप्त है परंतु इस

प्रकार के सहायता-अनुदान, दान या उपहार की शर्तें परिषद् के उद्देश्यों या इन नियमों के प्रावधानों से असंगत या उनकी विरोधी नहीं होनी चाहिए ।

43. कार्यकारिणी समिति को, सरकारी और अन्य सार्वजनिक निकायों या निजी संस्थानों से क्रय, उपहार या अन्य तरीके द्वारा चल या अचल संपत्ति या तत्संबंधी दायित्वों सहित अन्य निधियों तथा ऐसे कार्यों, जो परिषद् के लक्ष्यों तथा इन नियमों से असंगत नहीं हैं; अधिकार में लेने तथा अर्जित करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

44. कार्यकारिणी समिति को परिषद् की किसी चल या अचल संपत्ति को बेचने या पट्टे पर देने का अधिकार प्राप्त है, तथापि सरकार के अनुदान से सृजित, परिषद् की कोई भी परिसंपत्ति, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना न तो बेची, ऋणग्रस्त या न ही उन प्रयोजनों के अलावा प्रयोग की जा सकती है, जिनके लिए कि अनुदान संस्वीकृत हुआ था ।

45. कार्यकारिणी समिति संकल्प द्वारा, ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसे अधिकारों के साथ, जिन्हें कि कार्यकारिणी समिति उचित समझती है, सलाहकार बोर्ड या अन्य विशेष समितियाँ नियुक्त कर सकती है; और कार्यकारिणी समिति इस प्रकार से स्थापित किसी भी समिति या सलाहकार निकाय को रद्द भी कर सकती है ।

46. कार्यकारिणी समिति, परिषद् के निदेशक या किसी अन्य सदस्य और/अथवा किसी अन्य अधिकारी को प्रशासनिक और वित्त शक्तियाँ सौंप सकती है तथा ऐसे कर्तव्य भी अधिशेषित कर सकती है जो वह उचित समझे तथा इन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन किए जाने संबंधी सीमाएँ निर्धारित कर सकती है ।

कार्यक्रम सलाहकार समिति

47. कार्यक्रम सलाहकार समिति कार्यकारिणी समिति को उस रूपरेखा से

संबंधित, जिस पर कि परिषद् के अनुसंधान ; प्रशिक्षण, विस्तार और अन्य कार्यक्रम संचालित होने चाहिए और उन माध्यमों से संबंधित सिफारिशें कर सकती है, जिनमें कि एसोसिएशन के ज्ञापन के अनुच्छेद 3 में प्रस्तुत परिषद् की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, देश में स्कूली शिक्षा के सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम रूप में संचालित किया जाना चाहिए । कार्यक्रम सलाहकार समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, अनुसंधान प्रस्तावों आदि पर विचार करे और परिषद् के कार्य के शैक्षिक पक्ष की जाँच करे तथा उनके कार्यक्रमों के विकास के लिए समन्वित मार्ग सुनिश्चित करे ।

48. कार्यक्रम सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(i) परिषद् का निदेशक — अध्यक्ष

(ii) परिषद् का संयुक्त निदेशक — उपाध्यक्ष

(iii) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित, शिक्षा तथा अन्य संबंधित शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच विश्वविद्यालयीय प्रोफेसर या विभागाध्यक्ष ;

(iv) सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से क्रमानुसार, परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य शिक्षा संस्थानों के पाँच निदेशक ;

(v) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन. आई. ई.) के प्रत्येक विभाग के दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की संघटक संस्था का प्रमुख, प्रधानाचार्य और एक प्रोफेसर/ रीडर होगा ।

49. (क) कार्यक्रम सलाहकार समिति यदि आवश्यक समझे तो सौंपी गई विशेष समस्याओं या कार्यक्रमों को निपटाने अथवा इसके कार्य के विशेष पक्षों के लिए उप-समितियाँ नियुक्त कर सकती है ।

49. (ख) नामित सदस्यों की पदावधि उनके नामांकन की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगी । तथापि, नामांकन प्राधिकारी को किसी भी समय सदस्यता अवधि को समाप्त करने या उसका विस्तार करने का अधिकार होगा ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ

50. कार्यकारिणी समिति यदि उचित समझे, तो कार्य-संचालन के लिए अध्यक्ष को अपनी कुछ शक्तियाँ सौंप सकती है, बशर्ते कि इस नियम के अंतर्गत सौंपी गई शक्तियों के अधीन अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में पेश की जाएगी ।

51. अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, तो लिखित रूप में अपनी कुछ शक्तियाँ उपाध्यक्ष या नियम 46 में उल्लिखित किसी व्यक्ति को सौंप सकता है ।

निदेशक के कार्य और शक्तियाँ

52. कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित किसी आदेश के अधीन, निदेशक परिषद् के प्रधान कार्यपालक और शैक्षिक अधिकारी के रूप में, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के निर्देशन और मार्गदर्शन के अधीन परिषद् और परिषद् की संस्थाओं के मामलों के उचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

परंतु कार्यकारिणी समिति की सहमति से निदेशक अपनी किसी भी शक्ति या कर्तव्यों को इन नियमों के अधीन नियुक्त या स्थापित किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकता है ।

53. निदेशक को अपने अधीन सभी मामलों में, इन नियमों और विनियमों में प्रदत्त अधिकार और कार्य या ऐसे अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हैं, जो उसे परिषद् या कार्यकारिणी समिति अथवा कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा प्रदत्त या सौंप गए हैं ।

54. निदेशक, परिषद् के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्त्तव्य निर्धारित करेगा और इन नियमों और विनियमों के अधीन आवश्यक समझे जाने वाले निरीक्षण और अनुशासनिक नियंत्रण करेगा ।

55. निदेशक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सभी शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण, विस्तार कार्यक्रम और परिषद् की अन्य गतिविधियों समन्वित करे और उनका सामान्य निरीक्षण करे ।

संयुक्त निदेशक के कार्य और शक्तियाँ

56. (क) संयुक्त निदेशक, निदेशक को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में परिषद् के प्रधान कार्यपालक और शैक्षिक अधिकारी के रूप में सहायता करेगा तथा निदेशक के निर्देशन और मार्गदर्शन में परिषद् और परिषद् की संस्थाओं के उचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

सचिव के कार्य और शक्तियाँ

56. (ख) सचिव, परिषद् और कार्यकारिणी समिति तथा कार्यक्रम सलाहकार समिति की कार्यवाहियों के रिकार्ड का रख-रखाव करेगा तथा उन कर्त्तव्यों का निष्पादन करेगा, जो सामान्यतः सचिव के पद से संबंधित होते हैं, और इन नियमों में अन्यथा विशिष्ट रूप से नहीं दिए हैं, तथा वे कर्त्तव्य भी जो उसे निदेशक या संयुक्त निदेशक द्वारा सौंपे गए हैं। वह उन कर्त्तव्यों का निष्पादन और उन अधिकारों का प्रयोग भी करेगा जो उसे सौंपे गए या प्रदत्त हैं तथा/ अथवा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं।

परिषद् की निधियाँ

57. परिषद् की निधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) परिषद् के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान,

(ii) अन्य स्रोतों से योगदान ;

(iii) परिषद् की परिसंपत्तियों से आय ; और

(vi) अन्य स्रोतों से परिषद् की आय ।

58. परिषद् का बैंकर, भारतीय रेज़र्व बैंक होगा । सभी निधियाँ भारतीय स्टेट बैंक में परिषद् के खाते में जमा की जाएँगी तथा अध्यक्ष द्वारा इसके संबंध में विधिवत अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा अध्यक्ष या इसके संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चैक के अलावा ये निधियाँ नहीं निकाली जाएँगी ।

वित्तीय सलाहकार

59. परिषद् की कार्यकारिणी समिति में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, परिषद् का वित्त सलाहकार होगा ।

60. परिषद् के कार्यों के वित्तीय पक्षों से संबंधित मामले वित्त सलाहकार के पास सलाह के लिए भेजे जाएँगे ।

61. यदि वित्त सलाहकार के पास भेजे गए किसी मामले में उसके द्वारा दी गई सलाह स्वीकार नहीं की जाती है, तो विनियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार मामले के संबंध में कार्रवाई की जाएगी ।

वित्त समिति

62. परिषद् की कार्यकारिणी समिति एक वित्त समिति नियुक्त करेगी, जिसमें पाँच सदस्य होंगे और जिनमें से वित्त सलाहकार और निदेशक–पदेन सदस्य होंगे । वित्त समिति का अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

63. वित्त समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :

(i) परिषद् के लेखाओं और बजट आकलनों की संवीक्षा करना और उनकी कार्यकारिणी समिति को सिफ़ारिश करना ;

(ii) कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार किए जाने से पहले वित्त समिति को विचार करने के लिए निर्दिष्ट मुख्य कार्यों और खरीद के कारण नए खर्चों के प्रस्तावों पर विचार करना और कार्यकारिणी समिति को उनकी सिफारिश करना ;

(iii) पुनर्विनियोजन विवरणों और लेखा परीक्षा टिप्पणियों की संवीक्षा करना तथा कार्यकारिणी समिति से उनकी सिफ़ारिश करना ;

(vi) समय-समय पर परिषद् के वित्त का अवलोकन करना तथा जब आवश्यक हो, तो उनकी समवर्ती लेखा परीक्षा करवाना ; और

(v) परिषद् के मामलों पर प्रभाव डालने वाली किसी अन्य वित्तीय समस्या पर कार्यकारिणी समिति को सलाह देना तथा सिफ़ारिश करना ।

क्षेत्रीय संस्थानों की प्रबंध समिति

64. केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली, समेत प्रत्येक क्षेत्रीय संस्थान के लिए, कार्यकारिणी समिति, जब भी उचित समझे, एक प्रबंध समिति नियुक्त कर सकती है, जो कि परिषद् के नियमों और विनियमों की रूपरेखा के अंतर्गत संस्थान के सामान्य निरीक्षण और कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के लिए उत्तरदायी होगी ।

65. प्रत्येक क्षेत्रीय संस्थान की प्रबंध समिति, कार्यकारिणी समिति द्वारा उस

विश्वविद्यालय से संबंधित प्रावधानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाएगी, जिससे कि वह संबद्ध है ।

66. प्रबंध समिति के कार्य और शक्तियाँ कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्दिष्ट तथा विनियमों के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार होंगी ।

परंतु यदि कार्यकारिणी समिति चाहे तो प्रबंध समिति से कोई एक या इससे समय सभी कर्तव्यों और शक्तियों को वापिस ले सकती है ।

67. (क) क्षेत्रीय संस्थान का अध्यक्ष प्रबंध समिति का उपाध्यक्ष होगा ।

67 (ख) क्षेत्रीय संस्थान का प्रशासनिक अधिकारी प्रबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा और इसकी बैठकों का रिकार्ड रखेगा ।

68. प्रबंध समिति एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और विशेष बैठकें, समिति के अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

69. प्रत्येक क्षेत्रीय संस्थान की प्रबंध समिति की कार्यवाहियाँ कार्यकारिणी समिति तथा कार्यक्रम सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएँगी ।

लेखे और लेखा परीक्षा

70. (i) परिषद् ठीक प्रकार से लेखाओं और अन्य संबंधित रिकार्डों का रख-रखाव करेगी तथा वार्षिक लेखे तैयार करेगी जिसमें प्राप्ति और अदायगी, लेखा, वित्तीय विवरण शामिल है, जैसा कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करके भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ।

(ii) परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा वार्षिक रूप से नियंत्रक महालेखापरीक्षक या इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी तथा परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में खर्च की गई कोई भी राशि परिषद् द्वारा देय होगी ।

(iii) नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति को परिषद् की लेखा परीक्षा और लेखाओं के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक और इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में और विशेषतः बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों एवं कागज पत्रों को मांगने तथा परिषद् के किसी भी कार्यालय या संस्था को जांच करने से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं ।

(iv) नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित परिषद् के लेखाओं और उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रूप से भारत सरकार को भेजी जाएगी और सरकार इस रिपोर्ट को परिषद् के लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के अन्दर ही संसद के दोनों सदनों में पेश करने के लिए प्रस्तुत करेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट

71. परिषद् की कार्यगतिविधियों और वर्ष के दौरान किए गए कार्य की वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार और परिषद् के सदस्यों की जानकारी के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा तैयार की जाएगी । वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप, वार्षिक साधारण बैठक में परिषद् के समक्ष उसके द्वारा विचार करने और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट भारत